Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

पील संख्या : 2019/00013

श्रीमती खुशनुमा आयु 40 वर्ष पत्नी श्री लईक मोहम्मद जाति मुसलमान पठान निवासी इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---अपीलार्थी

बनाम

1. मंजूर अहमद बालिग आत्मज मकसूद खॉ जाति मुसलमान पठान निवासी इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
2. मुस्तकीम खॉ बालिग आत्मज श्री रफीक अहमद खॉ जाति मुसलमान पठान निवासी इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. अंयूब खॉ बालिग आत्मज श्री रफीक खॉ जाति मुसलमान पठान निवासी इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. सलीम खॉ बालिग आत्मज श्री रफीक खॉ जाति मुसलमान पठान निवासी इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
6. मुमताज बालिग पुत्री मकसूद खॉ जाति मुसलमान निवासी इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
7. शबनम बालिग पुत्री मकसूद खॉ मुसलमान निवासी इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
8. शहनाज बालिग पुत्री मकसूद खॉ जाति मुसलमान निवासी इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिकी दिनांक 18.06.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी ।

ाद संख्याः 52/दावा/2006

श्रीमती खुशनुमा आयु 40 वर्ष पत्नी श्री लईक मोहम्मद जाति मुसलमान पठान निवासी इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---वादी

बनाम

1. मंजूर अहमद बालिग आत्मज मकसूद खॉ जाति मुसलमान पठान निवासी इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
2. मुस्तकीम खॉ बालिग आत्मज श्री रफीक अहमद खॉ जाति मुसलमान पठान निवासी इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. अयूब खॉ बालिग आत्मज श्री रफीक खॉ जाति मुसलमान पठान निवासी इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. सलीम खॉ बालिग आत्मज श्री रफीक खॉ जाति मुसलमान पठान निवासी इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 11.11.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री बालकिशन रायका एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 11.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

11/11/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00013

श्रीमती खुशनुमा आयु 40 वर्ष पत्नी श्री लईक मोहम्मद जाति मुसलमान पठान निवासी इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. मंजूर अहमद बालिग आत्मज मकसूद खॉ जाति मुसलमान पठान निवासी इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
2. मुस्तकीम खॉ बालिग आत्मज श्री रफीक अहमद खॉ जाति मुसलमान पठान निवासी इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. अयूब खॉ बालिग आत्मज श्री रफीक खॉ जाति मुसलमान पठान निवासी इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. सलीम खॉ बालिग आत्मज श्री रफीक खॉ जाति मुसलमान पठान निवासी इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
6. मुमताज बालिग पुत्री मकसूद खॉ जाति मुसलमान निवासी इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
7. शबनम बालिग पुत्री मकसूद खॉ मुसलमान निवासी इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
8. शहनाज बालिग पुत्री मकसूद खॉ जाति मुसलमान निवासी इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बालकिशन रायका, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 11.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मुई तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में खसरा नम्बर 286 रकबा 3.50 हैक्टर ,भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में मंजूर अहमद पुत्र महसूद खॉ व अफरोज बेवा मकसूद खॉ हिस्सा 1/2, मुस्तकीम खॉ, अयूब खॉ, सलीम खॉ पिसरान रफीक अहमद खॉ हिस्सा 1/2 जाति पठान निवासी इन्द्रगढ के नाम इन्द्राज हो रहा है । अफरोज बेवा मकसूद खॉ द्वारा वादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से 1/4 का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र वादी के हक में दिनांक 13.03.2006 को किया जाकर कब्जा संभला दिया गया था । वादिनी क्रय के समय से ही उक्त भूमि पर सहखातेदार के रूप में अपनी काबिज काश्त चली

आ रही है । रजिस्टर्ड विकय पत्र के पश्चात् भी उक्त भूमि सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड में वादिनी का नाम दर्ज नहीं किया जबकि वादिनी उक्त भूमि की वैधानिक रूप से खातेदार काश्तकार है । वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमि में अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 दर्ज करावे । प्रतिवादी कम 01 द्वारा नाजायज तरीके से वादिनी को परेशान किया जा रहा है । प्रतिवादी वादिनी को उसके हिस्से की भूमि के उपयोग एवं उपभोग से मेहरूम करने पर आमादा हैं और वादिनी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहे हैं । वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की आराजी 1/4 का स्वयं को खातेदार घोषित कराते हुए वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से में प्राप्त भूमि को पृथक से अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करावे तथा पृथक से लगान कायम करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में से वादिनी को उनके 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड से अफरोज बेवा मकसूद का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादिनी का नाम 1/4 हिस्से में सहखातेदार के रूप में दर्ज किया जावे । वादिनी के हिस्से 1/4 का विधिवत विभाजन किया जाकर वादिनी को विभाजन में प्राप्त भूमि वादिनी के पृथक खाते दर्ज की जावे तथा पृथक लगान कायम किया जावे । प्रतिविादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादिनी के अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 1 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादिनी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादिनी का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2018 के द्वारा वाद वादिनी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2018 से व्यथित होकर वादिनी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की तरफ से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था जिसकी तरफ अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया और वादिनी व प्रतिवादीगण के राजीनामे के मुताबिक वाद का निर्णय नहीं कर वादिनी का वाद खारिज कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने काउन्टर क्लेम पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया । राजीनामे के मुताबिक निर्णय पारित नहीं किया है । वादिनी का दावा त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया है । सीपीसी की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 18.06.2018 को राजीनामे के आधार पर दावा वादिनी खारिज किया है । पत्रावली पर एक राजीनामा संलग्न है यह राजीनामा वादिनी अपीलान्ट खुशनुमा और प्रतिवादी मंजूर अहमद के मध्य हुआ है । राजीनामे को परीक्षण न्यायालय के द्वारा तस्दीक किया गया है । राजीनामे में यह अंकित है कि वादी और प्रतिवादीगण में समझौता हो गया है । वाद वर्णित आराजी को हमने आपसी समझौते से बंटवारा कर लिया है, वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं वाद खारिज किया जावे। इस राजीनामे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए दावा वादिनी खारिज किया है । अब वादिनी के द्वारा यह अपील पेश की गई है और यह कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा के मुताबिक निर्णय पारित नहीं किया है । अपील मीमो में यह अंकित किया है कि वादिनी के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने में आपत्ति नहीं होने का कथन किया गया था परन्तु पत्रावली पर जो राजीनामा संलग्न किया गया है उसमें वादिनी के हस्ताक्षर हैं जिसमें यह अंकित है कि हम आगे वाद नहीं चलाना चाहते हैं । अतः वाद खारिज किया जावे ।

10. अधीनस्थ न्यायालय ने बरूए राजीनामा दावा वादिनी खारिज किया है । राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं होती है । यदि अपीलान्ट यह महसूस करते हैं कि परीक्षण न्यायालय के द्वारा राजीनामा के अनुसार निर्णय पारित नहीं किया गया है तो इस बाबत् वो परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2018 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 11.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/11/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा